बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.01.2016 को अपर समाहर्त्ताओं के साथ सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् गत बैठक की कार्यवाही के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी।

1. अभियान भूमि दखल–देहानी :–इस अभियान की गहन समीक्षा की गई। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि अभियान भूमि दखल–देहानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है।

प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि बेदखल के कोई मामले नहीं होने चाहिए। साथ ही निदेश दिया गया कि जिन–जिन जिलों में बेदखली के मामले में कमी नहीं आयी है उन जिलों में समाहर्त्ता को इस आशय का पत्र दिया जाय की बेदखली के मामले को त्वरित गति से निष्पादित किया जाय।

निदेश दिया गया कि 31.03.2016 तक बेदखली के सभी मामले समाप्त होने चाहिए।

विभिन्न जिलों में ऑपरेशन भूमि दखल देहानी की अद्यतन स्थिति निम्न है –

क्र0 सं0	जिला	Reported	प्रपत्र–2	प्रपत्र–3
1	अररिया	82670	3804	543
2	अरवल	7758	492	207
3	औरंगाबाद	52583	2429	853
4	बांका	29265	944	873
5	बेगूसराय	78601	4059	1492
6	भागलपुर	34651	4661	1648
7	भोजपुर	27980	1367	705
8	बक्सर	18472	1233	762
9	दरभंगा	113000	4247	1397
10	पूर्वीचंपारण	182848	6470	3807
11	गया	163299	2528	2158
12	गोपालगंज	94084	1352	630
13	जमुई	39612	550	296
14	जहानाबाद	14850	177	114
15	कैमूर	63907	5012	2791
16	कटिहार	101403	3609	1737
17	खगड़िया	51729	1793	1620
18	किशनगंज	54073	6910	1713

19	लखीसराय	23951	303	260
20	मधेपुरा	41868	5369	1958
21	मधुबनी	139584	48622	2861
22	मुंगेर	38648	1049	975
23	मुजफ्फरपुर	50705	1185	467
24	नालन्दा	45650	320	128
25	नवादा	58449	569	411
26	पटना	61264	1707	714
27	पुर्णिया	116722	3112	633
28	रोहतास	28455	3782	3024
29	सहरसा	33401	1430	801
30	समस्तीपुर	86658	4535	557
31	सारण	14448	455	441
32	शेखपुरा	11846	24	13
33	शिवहर	6322	125	45
34	सीतामढ़ी	33635	4888	2845
35	सिवान	19429	552	381
36	सुपौल	84429	1397	343
37	वैशाली	26431	2694	2463
38	प०चंपारण	237058	12436	1629

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 7/8 एवं सभी जिला)

2. अभियान बसेरा :–इस अभियान के तहत वासभूमि उपलब्ध कराये गये महादलित परिवारों की समीक्षा की गयी। निदेश दिया गया कि सर्वेक्षित महादलित परिवार के बचे हुए परिवारों को अगले माह तक शत–प्रतिशत वासभूमि उपलब्ध करा दिया जाय।महादलित योजना को भी अभियान बसेरा के तहत वासभूमि उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अभियान के तहत वासभूमि MVR के आधार पर क्रय किया जाना है।

31.03.2016 को महादलित विकास योजना की अवधि समाप्त हो रही है। निदेश दिया गया कि इस योजना के लाभान्वितों को दिनांक 31.03.2016 तक शत–प्रतिशत वासभूमि उपलब्ध करा दिया जाय। समाहर्त्ता, पटना को इस आशय का पत्र दिया जाय कि 31.03.2016 तक इस योजना के लाभान्वितों को शत–प्रतिशत वासभूमि उपलब्ध करा दिया जाय।

मुंगेर, भागलपुर, समस्तीपुर, मधेपुरा एवं नवादा द्वारा शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली है। बैठक के दौरान ये बातें सामने आयीं कि कहीं–कहीं सड़क की जमीन का बंदोबस्त किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि सड़क की जमीन का बंदोबस्त किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

अभियान बसेरा की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	जिला	महादलित	SC	ST	BC- I	BC- II
1	अररिया	895	257	192	394	66
2	अरवल	206	154	0	136	22
3	औरंगाबाद	528	149	0	72	18
4	बांका	519	32	14	65	19
5	बेगूसराय	1026	1285	0	280	134
6	भागलपुर	1496	119	15	267	301
7	भोजपुर	587	92	33	35	42
8	बक्सर	3540	596	124	1152	541
9	दरभंगा	318	235	0	212	56
10	पूर्वीचंपारण	531	639	0	80	113
11	गया	1481	73	0	31	11
12	गोपालगंज	401	38	29	192	83
13	जमुई	188	89	82	123	83
14	जहानाबाद	77	116	0	166	48
15	कैमूर	960	89	0	100	102
16	कटिहार	1744	208	203	337	192
17	खगड़िया	118	620	0	287	177
18	किशनगंज	19	79	-24	0	0
19	लखीसराय	321	47	0	39	15
20	मधेपुरा	94	110	18	171	103
21	मधुबनी	1039	168	0	210	63
22	मुंगेर	610	83	23	121	226
23	मुजफ्फरपुर	531	197	0	140	125
24	नालन्दा	562	57	0	17	12
25	नवादा	916	137	17	66	39
26	पटना	1507	222	137	122	0
27	पुर्णिया	2437	232	252	1283	621
28	रोहतास	0	2	4	153	63
29	सहरसा	806	236	50	390	130
30	समस्तीपुर	1122	633	0	427	324
31	सारण	213	10	6	48	16
32	शेखपुरा	250	380	6	0	0
33	शिवहर	381	34	0	152	53
34	सीतामढ़ी	390	98	0	141	176
35	सिवान	104	61	9	91	114
36	सुपौल	2411	239	241	573	128
37	वैशाली	371	155	0	86	102
38	प0चंपारण	4116	834	962	1217	1415

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 7 एवं सभी जिला)

3. दाखिल–खारिज :–दाखिल–खारिज रिपोर्ट को online करने का निदेश दिया गया। दाखिल–खारिज कैंप लगातार करने का निदेश दिया गया।

दाखिल–खारिज में लंबित मामलों की स्थिति निम्न है:–

क्र0सं0	जिला	लंबित मामले	क्र0सं0	जिला	लंबित मामले
1	अररिया	1148	13	मधेपुरा	563
2	अरवल	11	14	मधुबनी	2299
3	औरंगाबाद	900	15	मुंगेर	71
4	बांका	401	16	मुजफ्फरपुर	458
5	बेगूसराय	380	17	नालन्दा	2383
6	भागलपुर	115	18	नवादा	160
7	भोजपुर	226	19	पटना	1857
8	बक्सर	306	20	पुर्णिया	808
9	दरभंगा	3493	21	रोहतास	1291
10	पूर्वीचंपारण	1371	22	सहरसा	717
11	गया	3015	23	समस्तीपुर	167
12	गोपालगंज	71	24	किशनगंज	714

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 9 एवं सभी जिला)

4. भू–हदबंदी :– भू–हदबंदी मामलों की गहन समीक्षा के दौरान समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता एवं अनुमंडलाधिकारी के यहां लंबित वादों के संबंध में निदेशित किया गया कि इसे त्वरित गति से समय सीमा के अंदर निपटाया जाय।

प्रधान सचिव द्वारा अनुग्रह नारायण सिन्हा समाजिक अध्ययन संस्थान, पटना में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता एवं अपर समाहत्ताओं का फरवरी, 2016 में वर्कशॉप कराने का निदेश दिया गया।

भू–हदबंदी के अंतर्गत अपर समाहर्त्ता के यहाँ लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	जिला	लंबित मामले	क्र0सं0	जिला	लंबित मामले
1	अररिया	0	18	मधुबनी	27
2	औरंगाबाद	0	19	मुंगेर	2
3	बांका	8	20	मुजफ्फरपुर	2
4	बेगूसराय	9	21	नालन्दा	0
5	भागलपुर	4	22	नवादा	0
6	भोजपुर	0	23	पटना	0
7	बक्सर	0	24	पुर्णिया	16
8	दरभंगा	4	25	रोहतास	2
9	पूर्वीचंपारण	16	26	सहरसा	9
10	जमुई	0	27	समस्तीपुर	14
11	जहानाबाद	0	28	सारण	1
12	कैमूर	1	29	शेखपुरा	0
13	कटिहार	0	30	शिवहर	0

14	खगड़िया	0		31	सीतामढ़ी	6
15	किशनगंज	0		32	सिवान	0
16	लखीसराय	19		33	सुपौल	22
17	मधेपुरा	3		34	वैशाली	0

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी – 9 एवं सभी जिला)

5. राजस्व कर्मचारी :–राजस्व गांव के हिसाब से राजस्व कर्मचारी का प्रस्ताव दिया गया था। 5 राजस्व वार्ड पर एक राजस्व कर्मचारी का प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया। विशेष सचिव ने सुझाव दिया की 5 प्रशासनिक वार्ड पर एक कर्मचारी देने का प्रस्ताव दिया जाय।

प्रधान सचिव ने अगले महीनें की बैठक में शहरी क्षेत्रों में कितने राजस्व गाँव पर कितने कर्मचारी होंगे, इसका आकलन कर प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया। नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पंचायत के लिए अलग–अलग प्रस्ताव देने का भी निदेश दिया गया।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी– 4 एवं सभी जिला)

6. भूदान :– संपुष्टि के मामलों की गहन समीक्षा की गई। प्रपत्र–1 के बारे में भी समीक्षा की गई। जिला मंत्री 15 दिनों में अपर समाहर्त्ता से मिलकर मामलों का निष्पादन करेंगे।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं सभी जिला)

7. महादलित विकास योजना :–महादलित विकास योजना के तहत निदेश दिया गया कि अगली महीने की बैठक तक इस योजना के लाभान्वितों की संख्या 100 प्रतिशत होनी चाहिए।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी–8 एवं सभी जिला)

8. न्यायालय :–प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि CWJC, MJC, LPA एवं SLP के मामलों में अपर समाहर्त्ता अपने स्तर से समीक्षा करें। साथ ही निदेश दिया गया कि CWJC, MJC, LPA एवं SLP के पुराने मामलों में ध्यान देकर उसका निष्पादन किया जाय। प्रतिवेदन को upload किया जाय।

विभिन्न जिलों में लंबित CWJC मामलों का ब्योरा निम्न है –

क्र0 सं0	जिला	लंबित मामले		क्र0 सं0	जिला	कैंप की स्थिति
1	वैशाली	9		6	शिवहर	2
2	शेखपुरा	1		7	सुपौल	14
3	गोपालगंज	19		8	सारण	13
4	पुर्णिया	14		9	सिवान	14
5	प0चंपारण	15		10	सीतामढ़ी	11

SLP के 6 मामले लंबित पाये गये।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी – 11 एवं सभी जिला)

9. AC/DC Bill :- विभिन्न जिलों में लंबित AC/DC Bill की समीक्षा की गई। समीक्षा में कुछ जिलों में ज्यादा लंबित Bill पाये गये।

विभिन्न जिलों में लंबित विपत्रों की स्थिति निम्न है :–

क्र0सं0	जिला	लंबित
1	अररिया	37,21,000/-
2	अरवल	1,57,092/-

3	औरंगाबाद	24,17,023/-
4	बांका	1,60,92,267/-
5	बेगूसराय	72,97,129/-
6	प०चंपारण	22,60,516/-
7	कैमूर	शून्य
8	भागलपुर	1,01,51,221/-
9	भोजपुर	1,54,214/-
10	बक्सर	36,29,236/-
11	दरभंगा	1,15,21,160/-
12	गया	1,18,46,519/-
13	गोपालगंज	13,66,646/-
14	जमुई	1,89,99,550/-

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी – 5 एवं सभी जिला)

10. **जनशिकायत** :-जनशिकायत के मामले को त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश सभी अपर समाहर्त्ताओं को प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(**कार्रवाई**– जनशिकायत कोषांग एवं सभी जिला)

11. **निगरानी** :– निगंरानी के लंबित मामलों को त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(**कार्रवाई**– निगरानी कोषांग एवं सभी जिला)

12. **चकबंदी** :–26 (क) का प्रस्ताव भेजने में यह देखना जरूरी है कि इन मामलों में दखल–देहानी हो गया है या नहीं। केस सं0– 15509/15 मनोरमा प्रसाद के संबंध में SLP दायर करने के संबंध में निदेश दिया गया।

13. **भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना** :–

भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना का प्रतिवेदन नियमित रूप से विभाग/निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उक्त योजना की प्रगति के लिए विशेष ध्यान देने का भी निदेश दिया गया।

इस योजना के अंतर्गत 14 जिलों का डाटा विभागीय वेव–साईट पर प्रकाशित है तथा 04 जिलों का आंशिक रूप से प्रकाशित है। निदेशालय द्वारा पत्रांक–143, दिनांक 28.01.2015 द्वारा मांगी गई उक्त योजना से संबंधित चेकलिस्ट किशनगंज, पटना, दरभंगा, कटिहार, बेतिया, अरवल और औरंगाबाद द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन जिलों के अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि चेकलिस्ट की प्रति शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना का व्यय का सत्यापित प्रतिवेदन देने का निदेश सभी अपर समाहर्त्ताओं को दिया गया। इस हेतु निदेशालय के पत्रांक–1992 दिनांक 10.11.2015 द्वारा उक्त योजना से संबंधित वित्तीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

सभी अपर समाहर्त्ताओं को पुनः जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि उक्त योजना को क्रियान्वयन करने हेतु जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसके

नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता को नामित किया गया है। इसकी सूचना निदेशालय पत्रांक 973 दिनांक 28.05.2015 द्वारा सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। कुल 38 जिलों में से मात्र 6 जिलों से ही जिला कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट आयी है। निदेशित किया गया कि अगले महीने तक सभी जिलों से जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित कर बैठक की कार्यवाही निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

01.04.2016 से कुछ जिलों में online mutation शुरू किया जायेगा।

14. डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार :–

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP के अंतर्गत सभी अंचलों में डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 226 अंचलों में उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा जानकारी उपलब्ध करायी गयी है कि 44 अंचलों में जमीन की अनुपलब्धता के कारण भवन निर्माण कार्य बाधित है। संबंधित अपर समाहर्त्ताओं को उक्त भवन निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा इसकी सूचना भवन निर्माण विभाग को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन की मांग निदेशालय पत्रांक 1483 दिनांक 25.09.2014 द्वारा किया गया है। कतिपय जिलों द्वारा उक्त से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, वैसे जिलों को संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

(कार्रवाई– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

(विनोद कुमार झा)
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0अ0स0(बैठक)कार्यवाही–43/2014–72 (10) रा0,पटना–15, दिनांक– 27/2/16

ई–मेल/फैक्स

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारीगण/सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/16
(विनोद कुमार झा)
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

D:\Revenue 2016\Sec 10\ADM Meeting\Proceeding ADM 29.1.2016.doc